

9651


Sale Day | 600000

2595

भारतीय गैर-न्यायिक

TWO RUPEES

दो रुपये



TWO RUPEES

Rs. 2

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

G.N.R 1901245434

झारखण्ड JHARKHAND



दस्तावेज़ संख्या 111/03
मेदिनीनगर, पलामू

31266
01AA 014009

निबंधन अधिनियम 21 तथा छोटानाथपुर
काशतकारी आदानप्रदान 1008 की धारा 46 के
अधीन एवं भारतीय गैर-न्यायिक अधिनियम 1899 की
मुद्राएँ जारी की गयी हैं। इनके अधीन
राष्ट्रीय निवास संघ द्वारा जारी की गयी हैं।

28/5

23
लेखकारीगण नाम एवं पूरा पता :- (विकेतागण)
28/5/19

cc 3 -

R 1

4 -

28/5/19
28/5/19

(1) लेखकारीगण नाम एवं पूरा पता :- (विकेतागण)


1. श्री मरेन्द्र कुमार तिवारी पिता का नाम स्व० महीमा तिवारी

2. श्री संतोष तिवारी पिता का नाम स्व० महीमा तिवारी

दोनों की जाति ब्राह्मण निवास स्थान ग्राम रेडमा, पोस्ट चियांकी,

थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, पेशा खेती, नागरिकता भारतीय

के प्रतिनिधि श्री विनीत तिवारी पिता का नाम श्री विनोद तिवारी



29.5.19

29.5.19

11211

तिवारी, जाति ब्राह्मण, निवास स्थान ग्राम रेडमा, पोस्ट चियांकी,
थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू, पेशा व्यवसाय, नागरिकता
भारतीय। प्रतिनिधि पत्र संख्या 55 बुक नं० IV भौ० नं० 4 पेज
नं० 395 से 438 तक वास्ते दिनांक 21.05.2019 ईस्वी है, जो
जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू में
निबंधित हुआ है। PAN -

प्रतिनिधि पत्र संख्या 55 बुक नं० IV भौ० नं० 4 पेज
नं० 395 से 438 तक वास्ते दिनांक 21.05.2019 ईस्वी है, जो

प्रतिनिधि पत्र संख्या 55 बुक नं० IV भौ० नं० 4 पेज
नं० 395 से 438 तक वास्ते दिनांक 21.05.2019 ईस्वी है, जो

(2) लेख्यधारी नाम एवं पूरा पता :- (क्रेता)

श्रीमति किरण कुमारी पति का नाम श्री प्रवीण कुमार, जाति बढ़ई,
निवास स्थान ग्राम हैदरनगर टोला बुद्धी बिगहा, पोस्ट एवं थाना
हैदरनगर जिला पलामू, पेशा गृहिणी नागरिकता भारतीय।

पैन नं० - HBZPK1258R आधार नं० - 8037 2417 8492

3. लेख्य प्रकार:- बिक्रय पत्र (Sale Deed)

4. बाजार मूल्य:- मो० 6,18,000/- (छ. लाख अठारह हजार) रूपये
मात्र।

देय मूल्य:- मो० 16,00,000/- (सोलह लाख) रूपये मात्र।

5. सम्पत्ति:- मवाजी 03 (तीन) डीसमील जमीन टांड़ खेत गृह
निर्माण योग्य एवं गृह निर्माण हेतु अन्दर मौजा रेडमा, अंचल सदर
मेदिनीनगर जिला पलामू। इलाके वो जिला अवर निबंधन कार्यालय
मेदिनीनगर जिला पलामू का हकियत कास्त प्रमुख लेख्यकारीगण का
मौरुसी हक हासिल है एवं डिमाण्ड प्रमुख लेख्यकारीगण के पिता के
नाम से होलिंग 196 पर चलता है इस दस्तावेज के साथ बिक्री

प्रतिनिधि पत्र संख्या 55 बुक नं० IV भौ० नं० 4 पेज
नं० 395 से 438 तक वास्ते दिनांक 21.05.2019 ईस्वी है, जो

प्रतिनिधि पत्र संख्या 55 बुक नं० IV भौ० नं० 4 पेज
नं० 395 से 438 तक वास्ते दिनांक 21.05.2019 ईस्वी है, जो

प्रतिनिधि पत्र संख्या 55 बुक नं० IV भौ० नं० 4 पेज
नं० 395 से 438 तक वास्ते दिनांक 21.05.2019 ईस्वी है, जो

11311

भू-खण्ड का मानचित्र संलग्न है, जो इस दस्तावेज का अभिन्न अंग है।

थाना नं०	तौजी नं०	खेवट नं०	हल्का नं०	मौजा
188	51	01	3	रेडमा

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	चौहदी
18 (अठारह)	1682 (एक हजार छः सौ बेरासी)	03 (तीन) डी०	पूरब :- नीज विकेता पश्चिम :- सर्वे रोड दक्षिण :- नीज विकेता उत्तर :- पूर्व से आठ फीट चौड़ा रोड

जमीन का माप

उत्तर से दक्षिण दोनों तरफ 25 फीट चौड़ा

पूरब से पश्चिम दोनों तरफ 52 फीट 4 इंच लम्बा

सलाना माल:- अनुमानित मो० 4/- रूपये अलावे सेस।

नाम मालिक :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी सदर मेदिनीनगर
जिला पलामू।

विदित हो कि उपर वर्णित सम्पति प्रमुख लेख्यकारीगण के पिता के द्वारा अर्जित की हुई सम्पति में से है एवं पिता के स्वर्गवाश हो जाने के बाद उपरोक्त सम्पति का उत्तराधिकारी लेख्यकारीगण हुए। उक्त सम्पति पर प्रमुख लेख्यकारीगण का निर्विवाद रूप से दखल कब्जा चला आ रहा है। इस सम्पति पर प्रमुख लेख्यकारीगण के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति का स्वामित्व हक अधिकार हिस्सा अथवा दखल कब्जा नहीं है और ना ही इस सम्पति पर आज तक किसी भी प्रकार का ऋणभार अथवा वारदैन किया गया है। ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई विवाद

किनार फैसला
29.5.19

अंचलाधिकारी आदाय नाम
मेदिनीनगर पलामू
29/5/19

//4//

ही है। संक्षेप में यह सम्पति सभी दोषों से मुक्त है तथा ऋणभार से पूर्णतः मुक्त है।

यह कि प्रमुख लेख्यकारीगण अपने— अपने कार्य से शहर मेदिनीनगर से बाहर आना—जाना करते हैं जिस कारण उपर वर्णित सम्पति की देख — भाल तथा इसके बिकी कर पाने के लिए मेदिनीनगर में उपस्थित रह पाना लेख्यकारी के लिए सम्भव प्रतित नहीं हो पा रहा था इस लिए प्रमुख लेख्यकारीगण ने उपरोक्त सम्पति को देख—रेख , बिकी आदि करने हेतु अपना विश्वासी व्यक्ति श्री विनीत तिवारी को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किये जो आज प्रतिनिधि होने के नाते इस दस्तावेज को श्री विनीत तिवारी निष्पादित कर रहे हैं।

यह कि लेख्यकारीगण को अपने विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपये की सख्त आवश्यकता आ पड़ी है। वह अन्य श्रोतों से रूपये प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अथक प्रयास किये परन्तु वह इसमें विफल रहे। विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य कोई विकल्प न देखकर उपरोक्त लेख्य सम्पति को विकी करने की घोषणा की। इस घोषणा को सुनकर कई इच्छुक सम्मानित व्यक्ति उपरोक्त सम्पति को खरीदने के लिए सम्पर्क किये परन्तु कोई भी अन्य व्यक्ति लेख्यधारी के सिवा अधिकतम बाजार मूल्य पर जरेसम्मन देने को तैयार नहीं हुआ। लेख्यधारी इस विक्री सम्पति का अधिकतम मूल्य देने को तैयार हुए तथा लेख्यकारी को भी इसे उचित बाजार मूल्य समझकर इस लेख्य सम्पति का सौदा लेख्यधारी के साथ तय कर दिये एवं जरेसम्मन की कुल राशि मो 16,00,000/- (सोलह लाख) रूपये लेख्यधारी ने भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं 11747621304 के चेक के माध्यम से लेख्यकारी को भुगतान कर दिये हैं।

यह कि उपरोक्त लेख्य सम्पति पर जो हक कब्जा लेख्यकारी का था उसे वह लेख्यधारी को सुपुर्द कर दिया। आज की तिथि से उन्हें यह

29.5.19

//5//

स्वतंत्रता है कि वे इस लेख्य सम्पति का उपयोग एवं उपभोग अपनी मर्जी एवं इच्छा के अनुसार जैसा चाहें करें। मकान निर्माण कराकर अपने परिवार के साथ निवास करें या जैसा उचित समझे उपयोग एवं उपभोग करें और इस उपयोग एवं उपभोग में लेख्यकारी को या उनके उत्तराधिकारी को या उनके स्थानापन्न को कोई आपत्ति नहीं होगी। यानि लेख्यधारी अपना निर्विघ्न हक एवं कब्जा का उपयोग करेंगे। लेख्यकारी का जो भी हक एवं कब्जा था वह आज की तिथि से उसे हटाकर लेख्यधारी को सौंप दिया। क्रेता अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग एवं उपभोग करते हुए इसका नामान्तरण झारखण्ड सरकार से कराकर मालगुजारी अदा करें और एवज में राजस्व रसीद प्राप्त करें। उपरोक्त कारवाई में लेख्यकारी या उनके उत्तराधिकारी या उनके स्थानापन्न को कभी कोई आपत्ति नहीं होगी।

आज की तिथि से लेख्यधारी का लेख्य सम्पति पर सम्पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो गया है। लेख्य सम्पति पर किसी भी प्रकार का ऋणभार या वारदैन नहीं है और इस सम्पति के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति से कोई मामला नहीं किया है ऋणभार से मुक्त एवं पाक-साफ भूमि का हस्तान्तरण लेख्यधारी के पक्ष में करं दे रहे हैं।


इस दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि, वन विभाग की भूमि, मन्दिर-मस्जीद की भूमि, भूदान में प्राप्त भूमि नहीं है तथा किसी प्रकार से प्रतिबन्धित भूमि नहीं है तथा इसके हस्तान्तरण से छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हो रहा है।

लेख्यकारी इस विक्य पत्र में वर्णित सभी बातों को पढ़कर पढ़वाकर ठिक एवं सही लिखा पाकर अपने शरीर एवं मन की पूर्ण स्वस्थता में बिना कोई डर भय दबाव के इस दस्तावेज का निष्पादन

मिशन
कालीन
29.5.19

116//

स्वतंत्र गवाहों के समक्ष कर दे रहे हैं और निबन्धन कार्यालय से निबन्धित करवा दे रहे हैं, जो समय पर काम आवे एवं सम्पति विक्री का स्थायी प्रमाण रहे।

टंकक

लव



राजस्थान दस्तावेज नं. 111/03
दिनांक 29.5.19

किरण भुमारी

29.5.19

टंकक लव

29.5.19

किरण भुमारी दस्तावेज नं. 111/03 स्वान में दी
कार, अजमावड़ा छरता के दस्तावेज में जिस-जिस घटना
की दरार दिन मात्रा के छर दिन को छाप के रूप में
दिखायी दी गयी है इसका दिन 29.5.19
दिनांक 29.5.19

मन्त्रमुख दी दस्तावेज नं. 111/03 स्वान
में दी गयी छरता दिन को यहाँ के छाप-समाचार
दिमांक 29.5.19 अपना अपना छाप-कालाश बना दिये ना,
29.5.19